<u>संख्या-23/2024/790/78-1-2024-209/2022(पार्ट-1)</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

<u>आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1</u> <u>लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2024</u>

विषयः "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022)" के प्रस्तर-9.1: इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 1802/78-1-2022-209/2022, दिनॉक 09 नवम्बर, 2022 द्वारा "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन)" अधिसूचित की गई है।

2- "उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020(प्रथम संशोधन-2022)" के **प्रस्तर-9.1: इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन** के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये हैं। इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया का निम्नवत् निर्धारण किया जाता है:-

3- **<u>सामान्य नियम और शर्तें:-</u>**

3.1 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020, अधिसूचना की तिथि से पाँच (5) वर्षों के लिए वैध है तथा पिछली स्टार्टअप नीतियों अर्थात् "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2016" एवं "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017-2022" के स्टार्टअप भाग से सम्बन्धित धाराओं को अवक्रमित करती है। उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत प्राविधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2016 तथा 2017 के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स पर भी लागू होंगे। वर्ष 2016 एवं 2017 की नीतियों के अन्तर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने हेतु नीति की प्रभावी तिथि के पूर्व देय वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि को समायोजित कर लिया जाएगा।

3.2 इनक्यूबेटर मेजबान संस्थान से अलग, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उत्तर प्रदेश में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत निगमित एवं पंजीकृत होना चाहिए।

3.3 इन्क्यूबेटर्स का पंजीकृत इकाई के नाम पर एक पृथक बैंक खाता उपलब्ध होना चाहिए।

3.4 इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रोत्साहन हेतु अपना आवेदन स्टार्टअप नोडल संस्था (यूपीएलसी) को केवल StartInUP प्लेटफॉर्म (www.startinup.up.gov.in) के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.5 इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति अधिकतम 5 वर्षो तक अथवा नीति की अवधि तक अथवा स्व-निर्भर होने तक (राजस्व>व्यय), जो भी पहले हो, की जा सकेगी।

3.6 नीति अवधि के दौरान, **अनुलग्नक-1** में निर्दिष्ट मदों में किये गये व्ययों के लिए, केवल प्रतिपूर्ति के आधार पर पूंजीगत अनुदान की मांग की जा सकती है। पहली मांग पात्र धनराशि की अधिकतम सीमा 25% होगी।

3.7 इन्क्यूबेटर को मान्यता के उपरान्त, परिचालन व्यय के आवेदन के समय स्टार्टअप्स की संख्या के अनुसार पहले वित्तीय वर्ष के लिए परिचालन व्यय अनुदान, अग्रिम रूप से निर्गत किया जायेगा।

3.8 अनुवर्ती वार्षिक मांगों पर विचार सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

3.9 इनक्यूबेटर्स को मूल चालान, बिल, वाउचर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, परिचालन तथा पूंजीगत व्यय की उल्लिखित मदों के अभिलेख तथा सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित लेखा-अभिलेखों का अनुरक्षण किये जाने की आवश्यकता होगी तथा जब भी आवश्यक हो, नोडल संस्था के निर्देश पर इसे उपलब्ध कराया जायेगा।

3.10 इनक्यूबेटर द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से Audited बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि खाता पीआईयू अनुमोदन की तिथि से वार्षिक रूप से पांच वर्षों तक रखने होंगे।

3.11 प्रत्येक इन्क्यूबेटर को प्रति वित्तीय वर्ष, स्टार्टअप्स को नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान (जैसे कि भरण-पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल/विपणन सहायता) हेतु अधिकतम 25 स्टार्टअप्स की अनुशंसा करने की अनुमति होगी।

3.12 स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन हेतु इन्क्यूबेटर से सम्बन्धित समस्त व्यय एकेटीयू द्वारा सृजित कॉर्पस फण्ड से किये जायेंगे।

4- <u>इन्क्यूबेटर मान्यता</u>

4.1 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत इनक्यूबेटर की मान्यता हेतु आवेदन,**अनुलग्नक-2** के अनुरूप प्रासंगिक दस्तावेजों सहित, केवल StartInUP पोर्टल के माध्यम से आन-लाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.2 शासकीय मेजबान संस्थान पूंजीगत अनुदान के लिये पात्र नहीं होंगे, तथापि इस नीति में उल्लिखित इन्क्यूबेटर्स से सम्बन्धित अन्य समस्त प्राविधान उन पर लागू होंगे।

4.3 संस्थान द्वारा आवेदन-पत्र और/अथवा उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गई सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में संस्थान से स्थिति स्पष्ट कराई जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है।

4.4 इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण के उपरान्त इन्क्यूबेटर्स को मान्यता उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन-2022) नीति के तहत निर्धारित निम्नलिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मापदण्डो के पूर्ण किये जाने के क्रम में नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन के पश्चात नोडल संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा:-

4.4.1 इनक्यूबेटर संस्थान को आवेदन तिथि पर परिचालनरत होना चाहिए तथा इन्क्यूबेटर को स्टार्टअप नीति के प्रस्तर संख्या-8.9 (iii) के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदण्डों को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा:-

- **फ्लोर एरिया:** शैक्षणिक संस्थानों के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गफुट तथा वाणिज्यिक संस्थान युक्त इन्क्यूबेटर्स के लिए न्यूनतम 5,000 वर्गफुट फ्लोर एरिया की आवश्यकता होगी।
- **समर्पित इन्क्यूबेशन टीम:** इन्क्यूबेटर के नियमित संचालन हेतु एक इन्क्यूबेटर प्रबन्धक तथा उसकी सहायता हेतु प्रबन्धन स्तर के दो अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने होंगे।
- **को-वर्किंग स्पेस:** इन्क्यूबेटर को प्रत्येक स्टार्टअप के लिये कम से कम 100 वर्गफुट का को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध कराया जाना होगा।
- **मीटिंग रूम:** स्टार्टअप द्वारा क्लायन्ट्स से बैठक के उपयोगार्थ डेडीकेटेड मीटिंग रूम की उपलब्धता होनी चाहिए।
- **सम्मेलन कक्ष:** स्टार्टअप संस्थापकों के लिए छोटे कार्यक्रमों अथवा मेन्टरिंग क्लासेज के आयोजन हेतु एक सम्मेलन कक्ष भी होना चाहिए।
- **कैफेटेरिया/रिफ्रेशमेन्ट जोन:** इन्क्यूबेशन केन्द्र में स्टार्टअप्स तथा आने-जाने वाले आगन्तुकों के लिए रिफ्रेशमेन्ट जोन की व्यवस्था होनी चाहिए।

4.5 इन्क्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत आवेदन का भौतिक परीक्षण नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात पीआईयू द्वारा इन्क्यूबेटर को मान्यता हेतु आवेदन पर विचार किया जाएगा। नोडल संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर के भ्रमण के दौरान, निम्नवत् बिन्दुओ पर भी समीक्षा की जाएगी:

- इन्क्यूबेटर के संचालन हेतु गवर्निंग स्ट्रक्चर की उपलब्धता तथा प्रबन्धन एवं परिचालन टीमों की स्पष्ट भूमिकाएँ, जिम्मेदारियाँ, और जवाबदेही का एक सुपारिभाषित तंत्र
- स्टार्टअप्स के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया
- स्टार्टअप्स को परामर्श एवं मार्गदर्शन हेतु अनुभवी मेन्टर्स की सूची
- कानूनी, वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता तथा पेटेन्ट फाईलिंग सहायता

4.6 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदन के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा सम्बंधित इनक्यूबेटर को एक लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जाएगा, जिसमें इनक्यूबेटर को नीति के विभिन्न प्रस्तरो के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्रता का उल्लेख होगा।

4.7 मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर को स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल के माध्यम से नीति के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान प्राप्त करने हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित, ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

4.8 नीति के अंतर्गत इन्क्यूबेटर्स को अनुदान दिये जाने हेतु नोडल संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.9 वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

5- **<u>इनक्यूबेटर प्रोत्साहनः-</u>**

5.1 **पूंजीगत अनुदान**

5.1.1 प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति केवल निजी मेजबान संस्थानों को की जाएगी तथा अपवादस्वरूप मामलों में सरकारी इन्क्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान केवल PMIC द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही दिया जाएगा।

5.1.2 प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना/क्षमता विस्तार हेतु पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति रू0 एक करोड़ की सीमा तक की जाएगी तथा बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में स्थापित इन्क्यूबेटर्स के लिए यह सीमा रुपये 1.25 करोड़ की होगी।

5.1.3 इन्क्यूबेटर्स द्वारा क्रय किये जाने वाले प्रौद्योगिकी उपकरणों की एक संकेतात्मक (indicative) सूची **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

5.1.4 पूंजीगत व्यय प्रथमतः इनक्यूबेटर द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा और तत्पश्चात प्रतिपूर्ति के रूप में इसकी मांग किया जाना चाहिए।

5.1.5 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के क्रय की तिथि नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदन के बाद की अवधि में होनी चाहिए।

5.1.6 प्रतिपूर्ति की मांग हेतु आवेदन नोडल संस्था को इस उद्घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा कि भौतिक संपत्तियों की स्थापना इनक्यूबेटर परिसर के अन्दर की गई है और उनका उपयोग केवल इन्क्यूबेशन कार्यकलापों के लिए किया जा रहा है।

5.1.7 आवेदन पत्र के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) होना चाहिए, जिस पर एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) अंकित हो। सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए **अनुलग्नक-3** सन्दर्भित करें।

5.1.8 नोडल संस्था को प्राप्त आवेदन विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.1.9 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदन के उपरान्त इन्क्यूबेटर्स को पात्रता के अनुसार अनुमोदित राशि का संवितरण नोडल संस्था द्वारा, इस नीति के तहत स्थापित कॉर्पस फंड की धनराशि से किया जायेगा।

5.2 **<u>परिचालन व्यय</u>**

5.2.1 इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु अधिकतम 5 वर्षो तक अथवा पालिसी की अवधि तक अथवा स्व-निर्भर होने तक (राजस्व >व्यय), जो भी पहले हो, प्रति वर्ष 30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता ''परिचालन अनुदान'' के रूप में प्रदान की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.2.2 शासनादेश सं0-671/78-1-2022-15आईटी/2020, दिनांक 23 मई 2022 के प्रस्तर-3 में परिचालन व्यय की संशोधित व्यवस्था के तहत, इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रू 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 02 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटेड हैं तथा उन्हें तद्नुसार आनुपातिक रूप में परिचालन व्यय की अनुमन्यता होगी, जब तक कि इन्क्यूबेटर 10 स्टार्टअप का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा निर्गत और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

5.2.3 इन्क्यूबेटर द्वारा इनक्यूबेटी के रूप में दावा किये गये स्टार्टअप्स को स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु प्रतिवर्ष नई स्टार्टअप्स की सूची इन्क्यूबेटर्स को प्रदर्शित करनी होगी।

5.2.4 नोडल संस्था द्वारा प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु अग्रिम अनुदान राशि की गणना नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदन तिथि से उसी वित्तीय वर्ष की तिथि 31 मार्च के मध्य की अवधि के लिए की जायेगी। अनुदान राशि की गणना स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल पर विद्यमान इन्क्यूबेटेड स्टार्टअप्स की संख्या के आधार पर की जायेगी।

5.2.5 सदुपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्दर, अगला वार्षिक अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु **अनुलग्नक-4** के अनुरूप मांग सहित प्रस्तुत किया जाएगा। अगले वर्ष की किश्त के आगणन हेतु नोडल संस्था द्वारा वर्ष के दौरान इन्क्यूबेटीज की संख्या में हुए किसी परिवर्तन पर विचार कर तद्नुसार समायोजन किया जायेगा।

5.2.6 इनक्यूबेटर द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रदान किया जायेगा, जिस पर एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) अंकित हो। सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए **अनुलग्नक-3** सन्दर्भित करें।

5.2.7 प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक परिचालन अनुदान की गणना वित्तीय वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात 1 अप्रैल को स्टार्ट-इन-यूपी पोर्टल पर विद्यमान ''इनक्यूबेटीज की संख्या'' के आधार पर की जाएगी।

5.3 <u>एक्सीलेरेशन कार्यक्रम</u>

5.3.1 स्टार्टअप्स को सहयोग/समर्थन हेतु न्यूनतम 12 सप्ताह के एक्सीलेरेशन कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रति संस्थान प्रति वर्ष 5 कार्यक्रम तक अनुदान दिया जाएगा।

5.3.2 प्रति स्टार्टअप 1 लाख रुपये तक का मैचिंग अनुदान, सक्षम संस्थानों को अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति कार्यक्रम दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5.3.3 इस मामले में सक्षम संस्थान भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार सहायतित/मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स, सेबी/बैंकों के साथ पंजीकृत एंजेल निवेशक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, वेन्चर कैपिटल फर्म, निजी एक्सीलेरेटर और अन्य संस्थान होंगे। इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए उन्हें नोडल संस्था द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

5.3.4 एक्सीलेरेशन कार्यक्रमों के आयोजकों को समग्र बजट और मैचिंग योगदान के विवरण सहित कार्यक्रम का एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

5.3.5 नोडल संस्था द्वारा दिये जा रहे परिचालन अनुदान के तहत सम्बन्धित इन्क्यूबेटर्स द्वारा मैचिंग योगदान का दावा नहीं किया जा सकता।

5.3.6 प्रस्ताव पर नोडल संस्था द्वारा सम्यक मूल्यांकन के बाद उसे नीति कार्यान्वयन इकाई के विचार एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

5.3.7 स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत आयोजक इन्क्यूबेटर को अग्रिम रूप से अवमुक्त किया जाएगा तथा शेष धनराशि सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र और इवेन्ट-रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद अवमुक्त की जायेगी। तथापि अन्य आयोजक संस्थाओं के मामले में धनराशि केवल प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जायेगी।

6- **इनक्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन**

6.1 इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन वार्षिक रूप से नोडल एजेन्सी द्वारा निर्गत और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

6.2 इनक्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन का उपयोग यूपीरेट कार्यक्रम के तहत इन्क्यूबेटर्स की रैंकिंग के लिए भी किया जाएगा।

6.3 वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष 3 इन्क्यूबेटर्स को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा।

6.4 नवरत्न इन्क्यूबेटर्स का चयन पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किया जायेगा। चयनित नवरत्न इन्क्यूबेटर्स को नीति के तहत मान्यताप्राप्त इन्क्यूबेटर्स के क्षमता विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना होगा।

7- **पात्र संस्थान के दायित्व**

प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति के लिए पात्र संस्थानों द्वारा विधिक रूप से आवश्यक सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा। इन्क्यूबेटर द्वारा सभी सूचनायें नोडल संस्था (यूपीएलसी)/पीएमयू/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

8- **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

9- **प्रोत्साहन/अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड**

इनक्यूबेटर द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इनक्यूबेटर द्वारा दी गयी सूचनायें/अभिलेख गलत हैं अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गई है, तो उपलब्ध कराई गयी धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही सम्बन्धित इनक्यूबेटर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

संलग्नकः यथा उपरोक्त

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2024/790/78-1-2024/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6 प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7 समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
10 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
11 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक-1

पूंजीगत व्यय की मदें

नीति के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी उपकरणों हेतु किश्त की मांग के लिए पूंजीगत बुनियादी ढांचे की परिभाशा के तहत निम्नलिखित वस्तुओं को आच्छादित किया गया है। यह सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। तथापि, सूची के किसी भी बहिश्करण को इनक्यूबेटर की गवर्निंग काउंसिल द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	व्यय की मदें	विवरण
1	डेस्कटाप पर्सनल कंप्यूटर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
2	लैपटाप	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
3	वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सेटअप	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
4	ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रूम	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
5	सॉफ्टवेयर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
6	प्रोजेक्टर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
7	प्रिंटर सह स्कैनर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
8	थ्री डी प्रिण्टर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
9	3डी पेन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
10	3डी स्कैनर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
11	रैक	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
12	स्विच	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
13	नेटवर्किंग केबिल्स	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
14	राउटर्स	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
15	सर्वर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
16	डाटा स्टोरेज	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
17	जीपीयू सर्वर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
18	लेजर मार्किंग मशीन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
19	डीप फ्रीजर	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
20	सीएडी वर्कस्टेशन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
21	यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
22	इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
23	एब्रेसिव (Abrasive) कटिंग मशीन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
24	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार
25	इन्क्यूबेटर द्वारा उनके स्पेसिफिक सेक्टर से सम्बन्धित अन्य आवश्यक उपकरण	इनक्यूबेटर की आवश्यकता के अनुसार

अनुलग्नक–2

इनक्यूबेटर की मान्यता हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.सं.	अपेक्षित दस्तावेज का विवरण
1	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत कंपनी का निगमन प्रमाणपत्र
2	रद्द किए गए चेक और पिछले 6 महीनों के बैंक विवरण सहित बैंक खाते का विवरण
3	नीति में निर्धारित अवसंरचना आवश्यकताओं के अनुपालन में इन्क्यूबेशन क्षेत्र का फ्लोर लेआउट
4	इन्क्यूबेशन केंद्र की डेडीकेटेड वेबसाइट
5	गवर्निंग काउन्सिल के गठन का संकल्प (रिजोल्यूशन)
6	इनक्यूबेटर आपरेशनल पॉलिसी डाक्यूमेंट जिसमें स्टार्टअप्स को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया और उन पर प्रभारित शुल्क सम्मिलित है।
7	मेंटर्स की सूचि, शैक्षिक एवं कार्यानुभव तथा मेन्टर्स को मानदेय की संरचना
8	इन्क्यूबेशन नीति, महत्वपूर्ण चिन्हित क्षेत्रों, मेजबान संस्थान / इन्क्यूबेशन केंद्र की मौजूदा क्षमताओं, शासी परिषद और इनक्यूबेटर की वित्तीय स्थिरता के लिए रोडमैप पर प्रकाश डालने वाला एक प्रेजेन्टेशन डेक
9	इनक्यूबेशन प्रबन्धक और सहायक कर्मचारियों के आत्म–परिचय सहित नियुक्ति पत्र
10	स्टार्टअप्स के कंपनी निगमन प्रमाण पत्र, DPIIT और StartInUP प्रमाणपत्र और निर्गत इन्क्यूबेशन पत्र सहित स्टार्टअप्स की सूची
11	वित्तपोषण संस्थाओं, अन्य इनक्यूबेटर्स, अकादमिक संस्थानों, उद्योग भागीदारों, सलाहकारों या सीवी या ऑनबोर्ड पेशेवरों सहित किसी भी अन्य हितधारकों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की प्रति, जहां भी लागू हो

अनुलग्नक– 3

सदुपयोगिता प्रमाणपत्र (इनक्यूबेटर के लेटरहेड पर)
(.............. से .... की अवधि के लिए)

<table>
<tr><td>1.</td><td>मेजबान संस्थान का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>इनक्यूबेटर का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>गवर्निंग काउन्सिल / बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)
(कृपया एलओसी नंबर और तिथि प्रदर्शित करें)</td><td><table><tr><th>व्यय मदें</th><th>स्वीकृत राशि</th></tr><tr><td>पूंजी अनुदान</td><td></td></tr><tr><td>परिचालन व्यय अनुदान</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बैंक के खाते का विवरण</td><td>खाता सं.:
लाभार्थी का नाम:
बैंक का नाम:
शाखा पता:
आईएफएससी कोड:</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>इस अवधि के दौरान नोडल संस्था से प्राप्त राशि</td><td><table><tr><th>साल</th><th>पूंजी अनुदान</th><th>परिचालन अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>इस अवधि के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध कुल राशि (ब्याज को छोड़कर)</td><td><table><tr><th>साल</th><th>पूंजी अनुदान</th><th>परिचालन अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अवधि के दौरान किया गया व्यय (प्रतिबद्धताओं को छोड़कर)
(व्यय का विवरण संलग्न है)</td><td><table><tr><th>साल</th><th>पूंजी अनुदान</th><th>परिचालन अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>अव्ययित शेष यदि कोई हो (ब्याज को छोड़कर)
प्रदर्शित की गई शेष राशि संबंधित तालिकाओं से मेल खानी चाहिए</td><td><table><tr><th>साल</th><th>पूंजी अनुदान</th><th>परिचालन अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांग की गई राशि</td><td><table><tr><th>साल</th><th>पूंजी अनुदान</th><th>परिचालन अनुदान</th><th>कुल</th></tr><tr><td>वर्ष 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>वर्ष 2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

मैं अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूं कि --- की राशि का उपयोग परियोजना पर उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। प्रमाणित किया जाता है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, वे विधिवत पूरी की गई हैं/पूरी की जा रही हैं और यह देखने के लिए जाँच की गई है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

दिनांक:

स्थान:

(इनक्यूबेटर के प्रमुख)
हस्ताक्षर एवं मुहर

(चार्टर्ड एकाउंटेंट)
हस्ताक्षर एवं मुहर
UDIN

अनुलग्नक-4

परिचालन व्यय की मदें

नीति के अन्तर्गत मांग किए जाने वाले परिचालन व्यय की परिभाषा के तहत निम्नलिखित मदों को आच्छादित किया गया है। यह सूची केवल उदाहरणस्वरूप के लिए है। हालाँकि, सूची के किसी भी बहिष्करण को इनक्यूबेटर की गवर्निंग काउंसिल द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	व्यय की मदें	विवरण
1	वेतन	इन्क्यूबेशन प्रबन्धक और 2 सहायक स्टाफ का ही वेतन (इनक्यूबेशन प्रबंधन के लिए आवश्यक 3 मैनपावर)
2	लेखा और लेखा परीक्षा शुल्क	इनक्यूबेटर के खातों, लाभ–हानि तथा बैलेन्स शीट के निर्माण हेतु लेखाकार / चार्टर्ड एकाउंटेंट को शुल्क
3	व्यावसायिक सेवा शुल्क	पेटेन्ट / कॉपीराइट / ट्रेडमार्क / कंपनी निगमन/जीएसटी आदि के लिए कानूनी और अन्य संबंधित सलाहकारों का मासिक रिटेनरशिप / परामर्श शुल्क।
4	मेन्टर फीस	मेन्टर्स को मानदेय
5	विद्युत शुल्क	मासिक विद्युत शुल्क
6	ब्रॉडबैंड / इंटरनेट शुल्क	इनक्यूबेटर के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शुल्क
7	मरम्मत एवं रखरखाव	पूंजीगत व्ययों की तालिका में परिभाषित प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए भुगतान किए जा रहे "वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी)" सहित मरम्मत और रखरखाव शुल्क
8	उपभोग्य और कच्चा माल	प्रिंटर / 3 डी प्रिंटर कार्ट्रिज, प्रिंटिंग पेपर, स्टेशनरी आदि।
9	ब्राण्डिंग और मार्केटिंग	इनक्यूबेटर वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रचार अभियान इत्यादि सहित इनक्यूबेटर की ब्राण्डिंग और मार्केटिंग की लागत।
10	आयोजन और आउटरीच कार्यक्रम	बूटकैम्प, हैकाथॉन, मेन्टरशिप सत्र, क्षमता निर्माण, डेमो डे, पिचिंग सत्र, उद्योग संपर्क आदि के माध्यम से स्टार्टअप तथा स्टूडेंट एन्त्रेप्रेंयूर्स (क्लास 10 से क्लास 12 स्टूडेंट्स) की सुविधा के लिए इनक्यूबेटर में आयोजित कार्यक्रम और आयोजन ।